578/4

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 118 /
/दो–15–3/90 रीवा, दिनांक 29/04/2025

श्री सुधीर सिंह राठौड़, 15वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा पत्र क्रमांक–71 दिनांक–21.04.2025 प्रेषित कर लेख किया गया कि सत्र प्रकरण क्रमांक–78/2022 (शासन म0प्र0 वि0 गौरव तिवारी वगै0) के मृतक प्रकाश सिंह उर्फ पिंटू सिंह स्वयं की पत्नी के निकट का रिश्तेदार है, इस कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किया जावे।

सत्र प्रकरण क्रमांक–78/2022 (शासन म0प्र0 वि0 गौरव तिवारी वगै0) के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना विश्वविद्यालय रीवा के अपराध क्रमांक–02/2022 से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक का नाम प्रकाश सिंह उर्फ पिंटू सिंह लेख है। इस प्रकार श्री राठौड़ के अनुरोध पत्र पर प्रकरण को प्रशासनिक आधार पर अंतरित किए जाने के पर्याप्त आधार हैं।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुधीर सिंह राठौड़ 15वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक–78/2022 शासन म0प्र0 वि0 गौरव तिवारी वगै0 को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री अशरफ अली, 19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 2154 /
/दो–15–3/90 रीवा, दिनांक 29/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. 15वें/19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)